तारीख हुक्म	
27-8-25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

वाद संख्य 34/2017 पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 18.07.2017 कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

नारायण सिंह आ0 मथुरा सिंह जाति राजपूत निवासी कॉलोनी कोटा राज0 मृतक जर्ये कायम मुकामः–
1/1. भंवर सिंह आ0 नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा
1/2. रूपरेखा पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी सवाईमाधोपुर राज0
1/3. सन्तोष कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गली नं0 1 पूनम कॉलोनी कोटा
1/4. अन्तिमा राठोड पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा।
1/5. मन्जू कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी पंचायत समिति हाऊस नं. 8 बारां
2. चन्द्रभान सिंह आ0 मथुरा सिंह जाति राजपूत निवासी पूनम कॉलोनी कोटा।
3. विजेन्द्र सिंह आ0 मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा
4. जितेन्द्र सिंह आ0 मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा
5. कृष्णा बेवा आ0 मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा
6. रामसिंह आ0 गोपी सिंह जा0 राजपूत नि0 पूनम कॉलोनी कोटा।
7. हनुमान सिंह आ0 गोपी जाति राजपूत निवासी पूनम कॉलोनी कोटा
8. अनार सिंह आ0 गोपी जाति राजपूत निवासी पूनम कॉलोनी कोटा
9. विजेन्द्र सिंह आ0 घनश्याम जाति राजपूत निवासी छबड़ा तह0 छबडा जिला बारां।
10. सुरेन्द्र सिंह आ0 घनश्याम जाति राजपूत निवासी छबड़ा तह0 छबडा जिला बारां।
11. लीला देवी बेवा घनश्याम जाति राजपूत निवासी छबड़ा तह0 छबडा ज़िला बारां।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम
व धारा–136 राज0भू0अधि0

उपस्थित

1. श्री सुरेश कुमार वर्मा – अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. पैरोकार सरकार प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक :– 27.08.2024

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र प्रकट कर कथन किया कि आराजी ख0नं0 117/250 रकबा 13 बीघा किस्म गवार 2 वाके ग्राम कंवरपुरा तह0इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण सं0 1 लगायत 2 व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

...गण सं0 3 लगायत 4 के पिता तथा वादी सं0 5 के पति स्व0 मोहन सिंह एवं वादीगण सं0 7 लगायत 10 के पिता व वादी सं0 11 के पति गोपी सिंह व कजोडी बाई बेवा मथुरा सिंह कोम राजपूत साकिन बलयन के नाम दर्ज थी जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 तक में हो रहा है। ग्राम कंवरपुरा तह0 इन्द्रगढ़ में सम्वत् 2041 से 2060 तक के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों ने वाद पत्र कि चरण सं0 1 में वर्णित आराजी सं0 नं0 117/250 रकबा 13 बीघा के नये ख0नं0 119, 120, 112/510 कायम किये जो सही है लेकिन बन्दोबस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सक्षम न्यायालय व सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त आदेश के बिना ही वाद विषयक आराजी का पुराना रकबा 13 बीघा को कम करते हुए नये ख0नं0 119 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 120 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 112/250 रकबा 0.27 है0 कायम करते–करते हुए कुल रकबा 0.35 है0 दर्ज कर मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी तैयार करते समय सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि बन्दोबस्त विभाग को पुराने राजस्व रिकॉर्ड का रिपिटिशन करने का अधिकार है न कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

वादीगण बन्दोबस्त सम्वत् 2041 से 2060 तक के पूर्व 13 बीघा भूमि पर काबिज काश्त थे और बन्दोबस्त के बाद भी 13 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा यथावत चला आ रहा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद–पत्र प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री किया जावे।

वादीगण का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया तो प्रतिवादी की ओर से वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रदत किया और प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद–पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्षों के अभिवचन के आधार पर तनकीयात कायम की गई तत्पश्चात् वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–1, नारायण सिंह पीडब्ल्यू–2, भागचन्द का साक्ष्य शपथ–पत्र प्रदत किया जाकर दस्तावेज साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 नारायण सिंह द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 प्रदर्श 2, खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 से 2060 प्रदर्श 3, जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 प्रदर्श 5, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक प्रदर्श 6, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक प्रदर्श 7, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 8, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 9, नक्शा ट्रेस 10 प्रदर्शित कराये गये एवं वादीगण द्वारा उनके पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र व पहचान पत्र की प्रतियां प्रदत की गई। प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत प्रदत करने का समुचित अवसर दिये जाने पर भी कोई साक्ष्य सबूत प्रदत न किये जाने से प्रतिवादी के साक्ष्य बन्द किये जाकर प्रकरण अन्तिम बहस में नियत किया गया।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि वाद विषयक आराजी पुराने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 प्रदर्श 1 में वर्णित अनुसार वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी की कृषि भूमि है लेकिन बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक के

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

...न वाद विषयक आराजी का पुराना रकबा 13 बीघा को कम किया जाकर नये ख0नं0 119, 120, 112/510 कायम किया जाकर रिकॉर्ड सिवायचक दर्ज कर दिया। नये ख0नं0 कायम किये गये जो सही है लेकिन सिवायचक व रकबा कम दर्ज कर दिया जो गलत है। वादीगण के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि 13 बीघा के है0 पद्धति अनुसार 2.08 है0 बनते हैं। लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने नये ख0नं0 119, 120, 112/510 का कुल रकबा 1.35 है0 दर्शाया गया जो 13 बीघा के रकबे से 0.73 है0 कम है। वादीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि बन्दोबस्त विभाग को खातेदार का रकबा कम करने एवं खातेदारी को विलोपित कर सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार किसी भी काश्त के तहत प्राप्त नहीं है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो इन्द्राज किये गये वह पूर्णतया गलत व अवैध इन्द्राज हैं जिनको सक्षम न्यायालय द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। वादीगण बन्दोबस्त से पूर्व भी 13 बीघा भूमि पर काबिज थे ओर बन्दोबस्त के बाद भी 13 बीघा भूमि पर काबिज काश्त हैं अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद–पत्र डिकी करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार ने वादीगण के अधिवक्ता की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए वादीगण ने दावा खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जा रहा है:–

तनकी–1 आयावाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी मोहन, गोपी सिंह, नारायण सिंह, चन्द्रभान सिंह, मोहन सिंह पि0 मथुरा सिंह व कजोडी बाई बेवा मथुरा सिंह कोम राजपूत सा0 बलवन के नाम दर्ज होकर खातेदार कृषक थे। इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है इस तनकी की रोशनी में उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 प्रदर्श 1 का अवलोकन किया जिसके खातेदार कालम में गोपी सिंह, नारायण सिंह, चन्द्रभान सिंह, मोहन सिंह पि0 मथुरा सिंह व कजोडी बाई बेवा मथुरा सिंह कोम राजपूत सा0 बलवन खातेदार दर्ज होकर ख0नं0 117/250 रकबा 13 बीघा किस्म ग्वार 2 इन्द्राज है। इस प्रकार यह तनकी जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 से सम्बन्धित होने से वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी–2 आया बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 में बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा वाद विषयक आराजी को सिवायचक दर्ज कर रकबा कम दर्ज कर दिया? इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी की रोशनी में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 से 2060 प्रदर्श 6 का अवलोकन किया जिसमें पुराने ख0नं0117 मि0 या ख0नं0 119 रकबा 0.19 है0,ख0नं0 117 मि0 नया ख0नं0 120 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 117 मि0 नया ख0नं0 112/510 रकबा 0.27 है0 और मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2041 से 2060 प्रदर्श 7 अवलोकन न किये जाने पर यह तथ्य सामने आते हैं कि खातेदार कॉलम में उपरोक्त ख0नं0

सिवायचक काबिज काश्त अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 तक खाता सं0 13 के अवलोकन न किये जाने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ख0नं0 117 / 250 रकबा 13 बीघा भूमि गुलाब बाई के नाम दर्ज थी और 117 / 250 रकबा 13 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज थी। इस प्रकार 117 / 250 कुल रकबा 26 बीघा था और ख0नं0 117 / 250 के नये ख0नं0 116, 117, 118 गुलाब बाई के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वाद–पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी 117 / 250 रकबा 13 बीघा का है0 पद्धति अनुसार 2.08 है0 होना चाहिए लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने जो रकबा दर्ज किया वह कुल 1.35 है0 है जो 13 बीघा के रकबे से 0.73 है0 कम है इस प्रकार पुराने रकबे से 0.73 है0 कम रकबा बन्दोबस्त विभाग द्वारा दर्ज कर दिया जो गलत है और राजस्व रिकॉर्ड में किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी के उपर्युक्त आदेश के बिना वादीगण के पूर्वजों के खाते की कृषि भूमि को सिवायचक दर्ज करने का जो गलत है। हमारे मतानुसार बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रकबा कर सिवायचक दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो इन्द्राज किये वह पूर्णतया अवैधानिक हैं कोई विधिक औचित्य नहीं है। प्रतिवादी द्वारा बन्दोबस्त की ओर से जो इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में सही किये जाने बाबत कोई स्पष्टीकरण पत्रावली में प्रदत नहीं किया इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी–3 आया बन्दोबस्त विभाग को रिकॉर्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है इस तनकी की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन न किया। यह तनकी पूर्णतया कानूनी तनकी होने के कारण हमारे द्वारा पूर्व न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2017 (1) एचसी पेज 224 का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें माननीय न्यायालय जयपुर द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि " एक बार कब्जा और पूर्ववर्ती बन्दोबस्त की प्रविष्टियां स्थापित हो जाती है तो भार आवश्यक रूप से सरकार यह इंगित करने हेतु रहता है कि नये बन्दोबस्त में प्रविष्टियों को क्यों बदल दिया गया जब प्रत्यर्थीगण अनवरत रूप से कब्जे काश्त थे प्रविष्टियों को हटाने की कार्यवाही का किसी भी क्षेत्र से समर्थन नहीं किया जा सकता जिसमें परिपत्र दिनांक 20.12.1995 सम्मिलित है"। इस प्रकार कानूनी नजीर की रोशनी यह तनकी वादीगण के पत्र में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जी है।

तनकी–4 आया कजोडी के वारिसान वादीगण मोहन सिंह के वारिसान वादी सं0 3 लगायत 6 एवं गोपी सिंह के वारिसान वादी सं0 7 लगायत 11 हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है इस तनकी की रोशनी में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध कजोडी बाई , मोहन सिंह, गोपी सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र व वादीगण प्रदत पहचान पत्रों की प्रतियों से यह तनकी वादीगण साबित करने में सफल रहे इस कारण यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी

उक्त तनकीवार विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वाद–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी वादीगण के पूर्वजों के खाते में दर्ज होकर खातेदार कृषक के रूप में उनका नाम दर्ज था जिसका पुराना ख0नं0 117/250 रकबा 13 बीघा था जिसको बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक के दौरान नये ख0नं0 119, 120, 112/510 कायम किया जाकर कुल रकबा 1.35 है0 दर्ज करते हुए सिवायचक दर्ज कर दिया जो 13 बीघा के रकबे से 0.73 है0 कम है जो बन्दोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय व उपर्युक्त आदेश के रकबा कम कर सिवायचक दर्ज कर दिया जिसको दुरस्त करवाकर वादीगण के खातेदार कृषक घोषित करवाने के अधिकारी होने से वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाना हमारे मतानुसार उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के नये ख0नं0 119 रकबा 0.19 के स्थान पर 0.69 है0 , ख0नं0 120 रकबा 0.89 व ख0नं0 112/510 रकबा 0.27 है0 के स्थान पर 0.50 है0 कुल रकबा 2.08 है0 संशोधित किया जाकर दुरस्त किया जाता है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सिवायचक काबिज काश्त को विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी सं0 1 के कायम मुकाम वादी सं0 1/1 से 1/5 को हिस्सा 1/4 व वादी सं0 2 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 3 लगायत 5 को हिस्सा 1/4 एवं वादी सं0 6 लगायत 8 व 9 लगायत 10 को हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे एवं वर्तमान जमाबंदी इन्द्राज किया जावे तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

(20)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....लाखेरी..... व इजलास..
.....श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस).....

नारायण सिंह आ0 मथुरा सिंह जा0 राजपूत
नि0 कॉलोनी कोटा राज0 मृतक जर्ये का0मुकाम
1/1भंवर सिंह आ0 नारायण सिंह जा0 राजपूत
नि0 रेल्वे कोलोनी कोटा वगै0
—वादीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ
जिला बून्दी राज0।
—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89,188 आर0टी0एक्ट
व 136 एलआरएक्ट
सन् .....

मुकदमा नम्बर 37/दावा/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..... हमारे.....व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार वर्मा ..... मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

अतः वादीगण का वाद—पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के नये ख0नं0 119 रकबा 0.19 के स्थान पर 0.69 है0 , ख0नं0 120 रकबा 0.89 व ख0नं0 112/510 रकबा 0.27 है0 के स्थान पर 0.50 है0 कुल रकबा 2.08 है0 संशोधित किया जाकर दुरस्त किया जाता है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सिवायचक काबिज काश्त को विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी सं0 1 के कायम मुकाम वादी सं0 1/1 से 1/5 को हिस्सा 1/4 व वादी सं0 2 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 3 लगायत 5 को हिस्सा 1/4 एवं वादी सं0 6 लगायत 8 व 9 लगायत 10 को हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इन मुकद्दमें के
मय सूद बशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख27माह 08 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दस्तखत
ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

तारीख

वाद संख्या

बउनवान

नारायण सिंह आ0 मथुरा सिंह जाति राजपूत निवासी कॉलोनी कोटा राज0 मृतक

मुकाम:—

1/1. भंवर सिंह आ0 नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा
1/2. रूपरेखा पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी सवाईमाधोपुर राज0
1/3. सन्तोष कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गली नं0 1 पूनम कॉलोनी कोटा
1/4. अन्तिमा राठोड पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा।
1/5. मन्जू कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी पंचायत समिति हाऊस नं. 8 बारां
2. चन्द्रभान सिंह आ0 मथुरा सिंह जाति राजपूत निवासी पूनम कॉलोनी कोटा।
3. विजेन्द्र सिंह आ0 मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा
4. जितेन्द्र सिंह आ0 मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा
5. कृष्णा बेवा आ0 मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी कोटा
6. रामसिंह आ0 गोपी सिंह जा0 राजपूत नि0 पूनम कॉलोनी कोटा।
7. हनुमान सिंह आ0 गोपी जाति राजपूत निवासी पूनम कॉलोनी कोटा
8. अनार सिंह आ0 गोपी जाति राजपूत निवासी पूनम कॉलोनी कोटा
9. विजेन्द्र सिंह आ0 घनश्याम जाति राजपूत निवासी छबड़ा तह0 छबडा जिला बारां।
10. सुरेन्द्र सिंह आ0 घनश्याम जाति राजपूत निवासी छबड़ा तह0 छबडा जिला बारां।
11. लीला देवी बेवा घनश्याम जाति राजपूत निवासी छबड़ा तह0 छबडा जिला बारां।

—वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—प्रति वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)